हरदेव कौर बनाम चौधरी जोध सिंह (जस्टिस शमशेर बहादुर)
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1969) 1

पत्र पेटेंट अपील

चीफ जस्टिस मेहर सिंह और जस्टिस शमशेर बहादुर के समक्ष

अपीलकर्ता - हरदेव कौर

बनाम

प्रतिवादी - चौधरी जोध सिंह

1967 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 364

2 मई, 1968

भविष्य निधि अधिनियम (1925 का XIX) - धारा 3, 4 और 5 - भविष्य निधि - क्या वसीयत द्वारा निपटान किया जा सकता है - ऐसी निधि के नामांकित व्यक्ति - के अधिकार।

माना गया कि भविष्य निधि अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 निस्संदेह यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य निधि का लाभ या तो ग्राहक को मिलेगा यदि वह जीवित है या उसकी मृत्यु के मामले में उसके उत्तराधिकारियों को, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। अनुमान यह है कि विधायिका ने भविष्य निधि को लेनदारों की मांगों से मुक्त कर दिया है और इसका उद्देश्य यह भी है कि ग्राहक के पास इस पर कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए और वसीयत द्वारा निपटान की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का ऐसा अर्थ नहीं

लगाया जा सकता है कि किसी ग्राहक के वसीयतनामा स्वभाव की शक्ति को बाहर कर दिया जाए ।

निधि के संबंध में इसलिए निधि का निपटान इच्छानुसार किया जा सकता है।

(पैरा 23 और 27)

माना जाता है कि भविष्य निधि के नामांकित व्यक्ति को मृतक के परिवार के आश्रितों और सदस्यों के लिए और उनकी ओर से भविष्य निधि का भुगतान प्राप्त होता है, जिनके बीच इसे पार्टियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार विभाजित किया जाएगा। भविष्य निधि को नामांकित व्यक्ति में निहित करने से उसे वास्तविक मालिकों के लाभकारी अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना राशि पर कब्ज़ा और प्रभुत्व का तत्काल अधिकार मिल जाता है, चाहे वे वारिस या विरासती के रूप में कोई भी हों।

(पैरा 13)

लेटर्स पेटेंट के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर का निर्णय, दिनांक 4 सितंबर, 1967, 1966 के प्रोबेट केस नंबर 2 में पारित किया गया।

3929/2, पटेल रोड, अंबाला शहर के चौधरी सुंदर सिंह के पुत्र श्री जोध सिंह चौधरी द्वारा मृतक की वसीयत की प्रोबेट के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंज. रतन सिंह, नंबर 5081-

जीडी(पी)आईएएफ] भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 222, 276, 279, 280, 281 और 300 के तहत याचिका।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता आत्मा राम।

प्रतिवादी की ओर से वकील के.एल. कपूर।

निर्णय

शमशेर बी अहदुर, जे.-ग्रोवर जे. के दिनांक 4 सितंबर, 1967 के फैसले से 1967 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 364 और 389 में निर्धारण के लिए व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न, निपटान करने की योग्यता से संबंधित है। रक्षा सेवाओं से संबंधित एक ग्राहक की भविष्य निधि होगी और रक्षा सेवा अधिकारियों के भविष्य निधि नियमों (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) द्वारा शासित होगी।

(2) फ़िट. लेफ्टिनेंट पंज रतन सिंह, जिनकी 17 जून, 1966 को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वायु सेना में एक अधिकारी थे और उनकी शादी एल.पी.ए. में अपीलकर्ता हरदेव कौर से हुई थी। 1967 की संख्या 364, 16 नवंबर 1958 को नाभा में। विवाह सफल नहीं हुआ और पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने की डिक्री के लिए आवेदन किया। आवेदन तब किया गया था जब पति अगस्त 1959 में जामनगर में

तैनात थे। यह याचिका दायर नहीं की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे वापस ले लिया गया है। इस याचिका की सामग्री (प्रदर्शनी आर.डब्ल्यू. 6/2) से पति का मुख्य आरोप यह था कि जब उसने उससे शादी की तो उसकी पत्नी पहले से ही गर्भवती थी और जब शादी हुई थी तब उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दोनों पक्ष लंबे समय तक एक साथ रहे हैं और एक वसीयत, प्रदर्शन ए. 1 को पति द्वारा 14 मई, 1959 को निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने पिता जोध सिंह चौधरी या उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या को वसीयत कर दी थी। प्रशासकों ने उसकी सारी चल और अचल संपत्ति पूरी कर ली और उसे वसीयत का निष्पादक नियुक्त कर दिया।

(3) फ्लाइट लेफ्टिनेंट पंज रतन सिंह की मृत्यु के बाद (बाद में अधिकारी कहा जाएगा), उनके पिता जोध सिंह चौधरी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसीयत की नकल के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया था, वह भविष्य निधि का भुगतान प्राप्त करने में असफल रहे थे। कुल अपेक्षित संपत्ति में से 23,529 रु. 36,143.49 पी., रक्षा लेखा नियंत्रक, मेरठ से। उद्धरण ट्रिब्यून में प्रकाशित किए गए और कार्यवाही 3 नवंबर, 1966 को सुनवाई के लिए तय की गई। पंज रतन सिंह की विधवा, कैविएटर हरदेव कौर ने प्रोबेट दिए जाने का विरोध किया। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि जोध सिंह और उनकी पत्नी गुरचरण कौर को 5 मार्च, 1960 को उनके भविष्य निधि के संबंध में अधिकारी द्वारा नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया गया था। अधिकारी के इरादे के संकेत के रूप में, कुछ

दस्तावेजों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिनके अस्तित्व पर पार्टियों द्वारा विवाद नहीं किया गया है। 10 दिसंबर, 1959 को, अधिकारी ने अधिकारियों को लिखा '(प्रदर्शन आर.डब्ल्यू. 5/ए) कि इस पत्र में उल्लिखित उनके पिता, माता, भाइयों और बहनों सहित आश्रितों को पेंशन लाभ का भुगतान किया जा सकता है। 16 जुलाई, 1960 का अधिकारी का रिकॉर्ड चेक फॉर्म (प्रदर्शन आर.डब्ल्यू. 2/1) भी है, जिसके अनुसार अधिकारी के माता-पिता को भविष्य निधि की आय को आधा-आधा साझा करने के लिए नामांकित नियुक्त किया गया था। 27 जुलाई, 1965 के एक अन्य चेक फॉर्म (प्रदर्शन आर.डब्ल्यू. 2/2) में, माता-पिता को फिर से भविष्य निधि के नामांकित व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है।

(4) ग्रोवर, जे. ने अपने सामने प्रस्तुत साक्ष्यों पर पाया कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था; वास्तव में विद्वान न्यायाधीश के समक्ष इसके निष्पादन को कभी कोई चुनौती नहीं दी गई। विद्वान न्यायाधीश के शब्दों में, विधवा के लिए विद्वान वकील "प्रतिवादी की किसी भी दलील या किसी अन्य तथ्य या सबूत की ओर इशारा नहीं कर सके, जो मृतक के स्वस्थ दिमाग का होने के तथ्य पर कोई संदेह पैदा करता हो।" भौतिक समय. इसलिए, मैं यह मानूंगा कि वसीयत का निष्पादन और सत्यापन कानून के अनुसार विधिवत साबित हुआ है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रमाणित अधिकारियों ने वसीयत पर अपने हस्ताक्षरों के बारे में गवाही

दी, जो वसीयतकर्ता की उपस्थिति में संलग्न किए गए थे और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी थे जो उनकी उपस्थिति में किए गए थे।

(5) हालाँकि, विधवा की ओर से यह तर्क दिया गया कि माता-पिता के पक्ष में नामांकन नियमों के तहत मान्य नहीं होने के कारण, भविष्य निधि और अन्य देय राशियाँ अब विधवा को उसके एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी और आश्रित के रूप में देय हैं। प्रोबेट में जिन राशियों का दावा किया गया था, वे ये थीं: -

(1) नियंत्रक के पास मृतक के खाते में भविष्य निधि जमा होना रक्षा लेखा, मेरठ 23529/- रुपये

(2) सी.डी.एस. के अंतर्गत पड़ी राशि। रक्षा लेखा नियंत्रक के साथ 200/- रुपये

(3) व्यक्तिगत निदेशक द्वारा देय सेवाएँ, आकाशवाणी एच.डी. प्र., नई दिल्ली और ओ.सी., आई.ए.एफ., केंद्रीय लेखा कार्यालय, नई दिल्ली, ए.एस

(i) ग्रेच्युटी (लगभग)...5,000

(ii) वेतन भत्ता और इनाम... 1,000

(iii) परोपकारी निधि... 1,500

अन्य चीजें भी थीं लेकिन इन अपीलों में हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। इनमें मृत अधिकारी की लगभग 5,000 रुपये की कीमत की निजी संपत्ति भी शामिल थी।

(6) विद्वान न्यायाधीश ने भविष्य निधि के संबंध में जोध सिंह चौधरी के पक्ष में प्रोबेट प्रदान किया। ग्रेच्युटी की राशि रु. राष्ट्रपति द्वारा विधवा के पक्ष में 5,000 रुपये स्वीकृत किए जाने के बाद, जोध सिंह के लिए वकील की रियायत पर संपत्ति से बाहर कर दिया गया। विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विधवा को देय पेंशन की जांच नहीं की जा सकती। परोपकारी निधि, राशि रु. जोध सिंह के वकील की रियायत पर 1,500 रुपये को भी प्रोबेट से बाहर कर दिया गया। रुपये की राशि. हालाँकि, 1,200 को प्रोबेट में शामिल किया गया था। परिणाम में, भविष्य निधि और रुपये की राशि के लिए प्रोबेट प्रदान किया गया। 1200. रुपये की राशि. 5000 और रु. क्रमशः ग्रेच्युटी और परोपकारी निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,500 को प्रोबेट से बाहर रखा गया और यह पाया गया कि अकेले विधवा ही उनकी हकदार थी।

(7) ग्रोवर, जे. के फैसले से, अधिकारी की विधवा हरदेव कौर ने 1967 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 364 को प्राथमिकता दी है, जबकि जोध सिंह ने एल.पी.ए. में प्रोबेट से बाहर की गई वस्तुओं के संबंध में अपील की है। 1967 का क्रमांक 389। यह निर्णय इन दोनों अपीलों का निपटारा करेगा।

(8) पार्टियों के वकील की दलीलों पर चर्चा करने से पहले, नियमों और भारतीय भविष्य निधि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि नियम नियम 2 के खंड (iii) में "परिवार" को परिभाषित करते हैं जिसका अर्थ है "ग्राहक की पत्नी या पत्नियां और बच्चे, और विधवा, या विधवाएं, और ग्राहक के मृत बेटे के बच्चे।" नियम 9 का खंड (viii), जिस पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, इस आशय का है: -

(viii) सेवा छोड़ने से पहले ग्राहक की मृत्यु पर-

(i) जब ग्राहक एक परिवार छोड़ देता है-

(ए) यदि ग्राहक द्वारा उपरोक्त खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन मौजूद है, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि या उसके नामांकित व्यक्तियों को देय हो जाएगी नामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में;

(बी) यदि ग्राहक के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामांकन मौजूद नहीं है, या यदि ऐसा नामांकन फंड में उसके खाते में जमा राशि के केवल एक हिस्से से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका हिस्सा जैसा भी मामला हो, जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में

होने वाले किसी भी नामांकन के बावजूद, उसके परिवार के सदस्यों को शेयर समान रूप से देय होगा :

बशर्ते कि कोई शेयर देय नहीं होगा-

(1) बेटे जिन्होंने कानूनी वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(2) मृत पुत्र के पुत्र जिन्होंने कानूनी रूप से वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(3) विवाहित बेटियाँ जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृत पुत्र की विवाहित बेटियाँ, जिनके पति जीवित हैं, यदि परिवार में खंड (1), (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है:

(9) सरकार और अन्य भविष्य निधि से संबंधित भविष्य निधि अधिनियम, 1925, धारा 2 के खंड (सी) में आश्रित को "एक पत्नी, पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन और एक मृत बेटे" के रूप में परिभाषित करता है। विधवा और बच्चा, और, जहां ग्राहक या जमाकर्ता के कोई माता-पिता जीवित नहीं हैं, दादा-दादी"। अधिनियम की धारा 3 अनिवार्य जमा को संदर्भित करती है और इन शब्दों में है: -

“(1) किसी भी सरकारी या रेलवे भविष्य निधि में अनिवार्य जमा किसी भी तरह से सौंपे जाने या चार्ज किए जाने योग्य नहीं होगा और किसी भी सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय

के किसी भी डिक्री या आदेश के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक या जमाकर्ता द्वारा वहन किया गया ऋण या दायित्व, और न तो आधिकारिक समनुदेशिती और न ही प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत नियुक्त कोई रिसीवर, ऐसी किसी भी अनिवार्य जमा राशि का हकदार होगा या उस पर कोई दावा करेगा।

(2) किसी भी ऐसे फंड में किसी ग्राहक या जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के समय जमा राशि और फंड के नियमों के तहत ग्राहक या जमाकर्ता के किसी भी आश्रित या ऐसे व्यक्ति को देय कोई भी राशि अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया जाएगा, इस अधिनियम द्वारा अधिकृत किसी भी कटौती के अधीन होगा और, सिवाय इसके कि जहां आश्रित ग्राहक या जमाकर्ता की विधवा या बच्चा है, * * * आश्रित में निहित होगा, और, अधीन होगा जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, ग्राहक या जमाकर्ता की मृत्यु से पहले मृतक द्वारा किए गए या आश्रित द्वारा किए गए किसी भी ऋण या अन्य दायित्व से मुक्त रहें।

(10) पुनर्भुगतान के संबंध में, धारा 4 में एक विस्तृत मशीनरी प्रदान की गई है जो कहती है: - "(1) जब किसी सरकार या रेलवे भविष्य निधि के नियमों के तहत किसी ग्राहक या जमाकर्ता के खाते में जमा राशि, या इस अधिनियम द्वारा अधिकृत किसी भी कटौती के बाद शेष राशि, देय हो गई है, तो वह अधिकारी जिसका भुगतान करना उसका कर्तव्य है कि वह ग्राहक या

जमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, राशि या शेष राशि का भुगतान करेगा, या, यदि वह मर गया है, तो-

(ए) यदि राशि या शेष राशि, या उसका कोई हिस्सा, धारा 3 के प्रावधानों के तहत किसी आश्रित में निहित है, तो उसे आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को भुगतान करें जिसे उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया जा सकता है; या

(बी) यदि, जैसा भी मामला हो, पूरी राशि या शेष राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो उसे या उसके किसी हिस्से को, जो खंड (ए) के तहत देय नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए नामित किसी भी व्यक्ति को भुगतान करें। निधि के नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामांकित नहीं किया गया है, तो उसे ऐसा प्रतीत होने वाला कोई भी व्यक्ति अन्यथा इसे प्राप्त करने का हकदार है: या

(सी) किसी भी राशि या शेष या उसके किसी हिस्से के मामले में, जो खंड (ए) या खंड (बी) के तहत किसी भी व्यक्ति को देय नहीं है, उसका भुगतान करें, -

(i) फंड के नियमों के तहत इसे प्राप्त करने के लिए नामांकित किसी भी व्यक्ति को, प्रोबेट या प्रशासन पत्र के ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने पर जो मृतक की संपत्ति के लिए प्रशासन के अनुदान या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अधिनियम 1889, या * * के तहत दिए गए प्रमाण पत्र का सबूत देता है। * * *

(ii) जहां कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नामांकित नहीं है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी प्रोबेट, पत्र या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है:

* * *

(11) यह देखा जाना चाहिए कि खंड (सी) प्रोबेट या प्रशासन पत्र के तहत इसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को वैध नामांकन के अभाव में भविष्य निधि के भुगतान की परिकल्पना करता है। वसीयत द्वारा भविष्य निधि का निपटान निहितार्थ द्वारा स्वीकार किया गया प्रतीत होता है।

(12) धारा 5 नामांकित व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है और 1946 के संशोधन अधिनियम के तहत इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: -

"(1) तत्समय लागू किसी भी कानून में या किसी भी स्वभाव में निहित किसी भी बात के बावजूद, चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा, किसी सरकारी या रेलवे भविष्य निधि के ग्राहक या जमाकर्ता द्वारा उसके खाते में जमा राशि का निधि, या उसका कोई भाग, जहां निधि के नियमों के अनुसार विधिवत किया गया कोई भी नामांकन, किसी भी व्यक्ति को ग्राहक की मृत्यु पर ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है या राशि देय होने से पहले या राशि देय होने से पहले, जमाकर्ता को भुगतान

किया गया है, उक्त व्यक्ति, ग्राहक या जमाकर्ता की उपरोक्त मृत्यु पर, अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर, ऐसा प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। जैसा भी मामला हो, उसकी राशि या कार्ट। जब तक-

(ए) ऐसा नामांकन किसी भी समय उसी तरीके से किए गए किसी अन्य नामांकन द्वारा भिन्न होता है या उन नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से और प्राधिकारी को दिए गए नोटिस द्वारा स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया जाता है; या

(बी) ऐसा नामांकन, उसमें निर्दिष्ट कुछ आकस्मिकता घटित होने के कारण किसी भी समय अमान्य हो जाता है, -

और यदि उक्त व्यक्ति ग्राहक या जमाकर्ता की मृत्यु से पहले हो जाता है, तो नामांकन, जहां तक यह उक्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से संबंधित है, शून्य हो जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बशर्ते कि* *

(13) यह सामान्य आधार है कि अधिकारी के माता-पिता के पक्ष में नामांकन को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि वे नियमों में परिभाषित 'परिवार' शब्द में शामिल नहीं हैं। श्री आत्मा राम इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि नियम 9 (viii) (i) (बी) के तहत भविष्य निधि विधवा को स्वचालित रूप से देय हो जाती है। हमने नामांकित व्यक्ति के अधिकारों पर काफी विस्तार से दलीलें सुनी हैं। विचार की एक पंक्ति के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामांकित व्यक्ति, पूर्ण रूप से और बिना शर्त भुगतान प्राप्त करने का हकदार है और वह इसे

ट्रस्टी के रूप में प्राप्त नहीं करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, नामांकित व्यक्ति के उत्तराधिकारी नियमों या अधिनियम के तहत परिवार के अन्य आश्रितों या सदस्यों को बाहर कर देंगे। धारा 5 की उपधारा (1) से 'बिल्कुल' शब्द हटा दिया गया है। यह आगे ध्यान दिया जाएगा कि संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि यदि नामांकित व्यक्ति ग्राहक या जमाकर्ता की मृत्यु से पहले मर जाता है, तो नामांकन, जहां तक यह उक्त नामांकित व्यक्ति को दिए गए अधिकार से संबंधित है, शून्य हो जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा दृष्टिकोण, जिसके लिए प्राधिकार की प्रधानता है, कहता है कि एक नामांकित व्यक्ति को मृतक के परिवार के आश्रितों और सदस्यों के लिए और उनकी ओर से भविष्य निधि का भुगतान प्राप्त होता है, जिनके बीच इसे व्यक्तिगत दलों के कानून के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

(14) सबसे पहले नूर महोमेद बनाम सरदार खातून (1) मामले में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तैयबी और मेहर, जे की डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें अधिकांश मामले के कानून पर चर्चा की गई है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया कि:-

“हर मामले में नामांकित व्यक्ति को अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, चाहे नामांकित व्यक्ति आश्रित हो या नहीं। ग्राहक द्वारा भविष्य निधि में जमा की गई राशि 'प्राप्त करने

(1) ए.आई.आर. 1949 सिंद 38.

का अधिकार' है, इससे न तो अधिक और न ही कम, हालांकि यह अधिनियमित है कि नामांकन किसी भी कानून या किसी भी प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस तरह का अधिकार ग्राहक द्वारा प्रदान करने वाला माना जाएगा।"

(15) "निहित" के बारे में बोलते हुए विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा :-

प्रोओर्टव के संबंध में 'निहित' का अर्थ है संपत्ति पर तत्काल कब्ज़ा और प्रभुत्व का कानूनी अधिकार प्राप्त करना। इसका इससे अधिक कोई मतलब नहीं है. शब्द 'राशि नामांकित व्यक्ति में निहित होगी' का अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि कानून में संपत्ति पर तत्काल कब्ज़ा और प्रभुत्व का कानूनी अधिकार निधि के ट्रस्टियों से नामित व्यक्ति के पास चला जाएगा, और इसका मतलब यह नहीं है कि स्वामित्व के पूर्ण अधिकार, जिसमें संपत्ति के लाभकारी उपभोग का अधिकार भी शामिल है, नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना नामांकित व्यक्ति राशि पर कब्ज़ा करने का हकदार हो जाता है। एक संपत्ति एक व्यक्ति में निहित हो सकती है, और एक मालिक के रूप में संपत्ति का आनंद लेने का लाभकारी अधिकार उसी समय किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो सकता है। इसलिए, जब नामांकित व्यक्ति आश्रित होता है, तो भविष्य निधि को नामांकित व्यक्ति में निहित करने का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट होता है। यह नामांकित व्यक्ति को राशि पर कब्ज़ा और प्रभुत्व का तत्काल अधिकार प्रदान करता है, वास्तविक मालिकों के लाभकारी

अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, चाहे वे वारिस या विरासती के रूप में कोई भी हों।

(16) इस दृष्टिकोण को भारत संघ, रेल मंत्रालय बनाम एमएसटी आशा बी. (2) मामले में मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला और जे.जे. चतुर्वेदी की खंडपीठ ने समर्थन दिया। अधिनियम की धारा 5 के प्रभाव पर चर्चा करते हुए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि: -

"धारा 5 केवल सभी व्यक्तिगत और अन्य कानूनों को मिटा देती है समय लागू है और ग्राहक द्वारा किसी अन्य स्वभाव को भी शून्य कर देता है, चाहे वह वसीयतनामा हो अन्यथा, नामांकित व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार बनता है । सरकार या भविष्य निधि के अन्य धारक से पैसा। धारा में यह भी कहा गया है कि नामांकन यह अधिकार नामांकित व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रदान करता है। इस अंतिम प्रावधान को नामांकित व्यक्ति बनाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है । निधि का स्वामी यह केवल उसे अधिकार देता है बिना शर्त इसकी मांग करें. उदाहरण के लिए यह खुला नहीं है फंड धारक को किसी दस्तावेज़ की मांग करनी होग न्यायालय या प्राप्तकर्ता से क्षतिपूर्ति बांड के लिए पूछना या भुगतान करने से पहले सुरक्षा. अधिकार पूर्णतः या दूसरे शब्दों में बिना किसी शर्त के प्रदान किया जाता है। इसलिए जब तक नामांकन कायम है, नामांकित व्यक्ति की आवश्यकता है केवल यह साबित करने के लिए कि वह नामांकित व्यक्ति है ग्राहक और वह तब बिना राशि प्राप्त कर सकता है उस पर कोई भी

(2) ए.आई.आर. 1957 एम.पी.79.

शर्त थोपी जा रही है।"

(17) इस डिवीजन बेंच द्वारा यह माना गया कि: -

"नामांकन अपनी प्रकृति में वसीयतनामा है और अभिदाता के जीवनकाल में नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामांकन रद्द हो जाता है, जिससे सदस्य की मृत्यु पर उसका कानूनी व्यक्तिगत प्रतिनिधि संपत्ति का हकदार होता है, न कि उसका कानूनी प्रतिनिधि नामांकित व्यक्ति।"

(18) मुख्य न्यायाधीश तैयबजी और मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला दोनों के निर्णयों में, इस बात पर जोर दिया गया है कि एक ग्राहक द्वारा किया गया नामांकन उसके द्वारा किए गए किसी भी अन्य स्वभाव पर प्रबल होता है और वास्तव में नामांकन को उसकी प्रकृति में वसीयतनामा माना जाता है। हालाँकि, इन टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जब कोई वैध और मौजूदा नामांकन नहीं होता है, तो उप-ग्राहक को अपने भविष्य निधि के बारे में वसीयत बनाने से रोक दिया जाता है।

(19) गवर्नर-जनरल इन काउंसिल बनाम जगन्नाथ सुका (3) में नागपुर मामले में मुख्य न्यायाधीश ग्रिल और हिदायतुल्ला, जे. (तब मुख्य न्यायाधीश थे) द्वारा एक विपरीत

(3) ए.आई.आर. 1949 नागपुर 85.

दृष्टिकोण पर पूरी तरह से चर्चा की गई प्रतीत होती है। मध्य प्रदेश न्यायालय का बाद का निर्णय (एआईआर 1957 एम.पी. 79)। और उस मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया गया माना जाना चाहिए। केशब लाई बनाम इवारानी रुद्रा (4) में एडगली और रहमान जेजे की खंडपीठ द्वारा अपनाए गए विचार, जहां एक नामांकित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को उत्तराधिकारियों पर प्राथमिकता दी गई थी, को संशोधन के मद्देनजर अब अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है। 1946 में अधिनियम में पेश किया गया था। वही टिप्पणियाँ बेस्ली, सी.जे. और स्टोडार्ट की डिवीजन बेंच प्राधिकरण पर लागू होंगी। जे.. मोन सिंह बनाम मोती बाई (5) में, जहां यह माना गया था कि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पर भविष्य निधि उसके उत्तराधिकारियों में निहित होती है।

(20) श्री आत्मा राम. विधवा के विद्वान वकील ने निधुसूदन मुखर्जी बनाम श्रीमती मामले में पैनक्रिज, जे. के एकल पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा जताया है। बिभाबती ऋण (6), जहां विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि नामांकित व्यक्ति के अधिकार,

(4) ए.आई.आर. 1947 कलकत्ता 176.
(5) ए.आई.आर. 1936 एमएडी 477.
(6) ए.आई.आर. 1940 कलकत्ता 395.

जिसमें नामांकित के प्रतिनिधियों के अधिकार शामिल हैं, स्पष्ट रूप से आश्रितों के अधिकारों के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यह निष्कर्ष, जो न्यायालय ने अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों से निकाला है, का अर्थ केवल यह हो सकता है कि आश्रितों के अधिकारों को नामांकन द्वारा कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन नामांकन के अभाव में, फैसले को इस अर्थ में विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि ग्राहक के वसीयतनामा स्वभाव द्वारा परिवार के सदस्यों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है।

(21) जोध सिंह के विद्वान वकील श्री कपूर ने तर्क दिया है कि जीवन बीमा अधिनियम में एक समान प्रावधान की व्याख्या इस दृष्टिकोण से की गई है कि एक नामांकित व्यक्ति केवल आश्रितों के बीच वितरण के लिए धन एकत्र करता है। लाभार्थियों के रूप में. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 की उपधारा (1) कहती है कि:-

"अपने स्वयं के जीवन पर जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक पॉलिसी लागू करते समय या भुगतान के लिए पॉलिसी परिपक्व होने से पहले किसी भी समय उस व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, जिन्हें पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धन का भुगतान उसकी मृत्यु की स्थिति में किया जाएगा ।"

(22) उपधारा (6) के तहत पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि नामांकित व्यक्ति या नॉमिनी को देय हो जाती है। सरोजिनी अम्मा बनाम नीलकंठ (7) मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण

(7) ए.आई.आर. 1961केरला 126.

पीठ के समक्ष यह निर्धारण के लिए आया था कि क्या बीमा अधिनियम के तहत नामित व्यक्ति को केवल राशि एकत्र करने का अधिकार था या इसे उचित करने का भी अधिकार था। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर पॉलिसी का पैसा इकट्ठा करने और बीमा कंपनी को अच्छी छूट देने का पूरा अधिकार था। वह पॉलिसी के तहत देय धन का मालिक नहीं बन पाया और वह इसे बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए उत्तरदायी है।

(23) श्री आत्मा राम का यह तर्क कि कोई वैध जीवित नामांकन नहीं होने के कारण संबंधित नियमों के तहत विधवा को भविष्य निधि का भुगतान किया जाना चाहिए, केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह पाया जाता है कि भविष्य निधि का निपटान ग्राहक द्वारा वसीयत द्वारा नहीं किया जा सकता है। श्री आत्मा राम के कथन के अनुसार भविष्य निधि संपत्ति का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि विधानमंडल इसे ग्राहक के लेनदारों के हाथों से बचाने की सीमा तक चला गया है। उनके प्रस्तुतीकरण में अधिनियम के तहत धारा 3, 4 और 5 में एक विस्तृत मशीनरी स्थापित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य निधि का लाभ या तो ग्राहक को मिले यदि वह जीवित है या उसकी मृत्यु के मामले में उसके उत्तराधिकारियों को मिले । यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि विधायिका ने भविष्य निधि को लेनदारों की मांगों से मुक्त करने का यह भी इरादा किया था कि ग्राहक के पास इस पर कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए और वसीयत द्वारा निपटान की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। नूर

महोमेद बनाम सरदार खातून (1) में, मुख्य न्यायाधीश तैयबजी ने पृष्ठ 42 पर कहा कि भविष्य निधि को नामांकित व्यक्ति में निहित करने से उसे "लाभार्थी को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, राशि पर कब्ज़ा और प्रभुत्व का तत्काल अधिकार मिल जाता है।" वास्तविक मालिकों के अधिकार, चाहे वे कोई भी हों, या तो वारिस के रूप में या वसीयतकर्ता के रूप में"। यह स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी कि भविष्य निधि के लाभार्थियों में वसीयतकर्ता, यदि कोई हो, शामिल होंगे। इस प्रकार श्री आत्मा राम से सहमत होना कठिन होगा कि मृत अधिकारी के पास अपने पिता के पक्ष में वसीयत करने की कोई शक्ति नहीं थी। नोरा मार्गरेट रॉबिन्सन बनाम एच.एच. रॉबिन्सन (8) मामले में अवध मुख्य न्यायालय की पूर्ण पीठ में, नोरा रॉबिन्सन के पक्ष में भविष्य निधि के निपटान की वसीयत के संबंध में प्रोबेट नोरा रॉबिन्सन के पक्ष में दी गई थी और ऐसा लगता है कि इसे मान लिया गया है कि रेलवे भविष्य निधि जमा में मृत व्यक्ति के खाते में जमा धनराशि मृतक की व्यक्तिगत संपत्ति है। ऐमाई बनाम अवाबाई (10) के फैसले के बाद हरदियाल देवी दित्ता बनाम जानकी दास (9) में एडिसन, जे ने कहा कि "ग्राहक की मृत्यु पर फंड उसकी अप्रयुक्त संपत्ति का हिस्सा बनता है"। ऐमाई बनाम अवाबाई (10) में, जिस पर एडिसन जे ने भरोसा किया था, कहा गया था कि

(8) ए.आई.आर. 1930 ओयूडीएच 145 (एफबी).

(9) ए.आई.आर. 1928 लाहौर 773.

(10) ए.आई.आर. 1924 सिंद 57.

नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति उसके पक्ष में कोई उपहार या वसीयत नहीं है और ग्राहक की मृत्यु पर भविष्य निधि उसकी अविवादित संपत्ति का हिस्सा बनती है।

(24) कि भविष्य निधि का निपटान वसीयत द्वारा किया जा सकता है, कालीसाधन मित्रा बनाम पमजुल्ला चंद्र मित्रा (11) में वाल्मस्ले और चक्रवर्ती, जेजे की खंडपीठ का भी यही विचार है। उस मामले में, जमा राशि रखने वाला व्यक्ति रेलवे भविष्य निधि में एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में घोषणा पत्र दायर किया गया था जो अपनी मृत्यु की स्थिति में भुगतान प्राप्त करने का हकदार था, और ग्राहक द्वारा यह जोड़ा गया था कि "जहां तक ऐसी जमा राशि का संबंध है, मैं इसे अपनी वसीयत बनाता हूं।" यह माना गया कि फंड के नियम किसी घोषणा को वसीयत के रूप में माने जाने से नहीं रोकते हैं। उस नियम के अलावा जिस पर श्री आत्मा राम ने भरोसा किया है कि यदि कोई नामांकन नहीं है तो पैसा आश्रित को देय हो जाता है, प्रासंगिक नियमों में यह सुझाव देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि मृत अधिकारी के पास अपने भविष्य निधि पर निपटान शक्ति नहीं थी। न ही हमें उनकी इस दलील को मानने का कोई रास्ता नजर आता है कि विधवा किसी भी कीमत पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत भविष्य निधि के लाभ की हकदार है। कुछ फैसलों में यह टिप्पणी कि भविष्य निधि को प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रशासित किया जाना है, किसी ग्राहक के वसीयत द्वारा इसका निपटान करने के कानूनी अधिकार को नहीं रोकता है।

(11)ए.आई.आर. 1926 कलकत्ता 1061.

(25) हमारी राय में, इसलिए हरदेव कौर की अपील विफल होनी चाहिए और खारिज की जाती है। हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देंगे।

(26) जोध सिंह की अपील के संबंध में, श्री कपूर केवल इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रेच्युटी को उन संपत्तियों में शामिल किया जाना चाहिए जिनके लिए प्रोबेट दिया गया है। उन्होंने हमारा ध्यान वायु सेना के लिए पेंशन विनियम, भाग II (1961 संस्करण) की ओर आकर्षित किया है, एक संदर्भ जो विद्वान न्यायाधीश के समक्ष मामले पर बहस के समय उनके लिए उपलब्ध नहीं था। मृत पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन के भुगतान के संबंध में विनियम 68 में इस प्रकार कहा गया है: -

"68 (ए) खंड (बी) के प्रावधानों के अधीन। मृतक पेंशनभोगी की संपत्ति के कारण बकाया पेंशन या ग्रेच्युटी का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को मृतक द्वारा छोड़ी गई वसीयत की प्रोबेट की प्रमाणित प्रति, या अदालत द्वारा दिए गए प्रशासन पत्र के उत्पादन पर किया जा सकता है। दो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र कि दावेदार कानूनी उत्तराधिकारी है..... यदि कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है तो कानूनी अभिभावक को भुगतान किया जाएगा या जब कोई नहीं है तो अदालत द्वारा नियुक्त व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

(बी) पेंशनभोगी की मृत्यु से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किए गए पेंशनभोगी के बकाया दावों को रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है यदि वह देरी के लिए दावेदार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट है; यदि वह स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो वह राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त करेगा।"

(27) इस अपील में उठाए गए तर्कों के अलावा, जिस पर एक क्षण में विचार किया जाएगा, यह देखना उल्लेखनीय है कि इस विनियमन में पेंशन और ग्रेच्युटी के निपटान की वसीयती शक्ति पूरी तरह से ग्रहण की गई है। ऐसा शायद ही कोई सिद्धांत है जो इस न्यायालय को यह कहने के लिए उचित ठहराएगा कि बनाए गए नियमों को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि भविष्य निधि के संबंध में किसी ग्राहक की वसीयतनामा की शक्ति को बाहर कर दिया जाए।

(28) श्री कपूर ने हमारा ध्यान 10 दिसंबर, 1959 के प्रदर्शन आर.डब्ल्यू. 5/ए की ओर आकर्षित किया है, जिसमें अधिकारी ने अपने माता-पिता का नाम उन व्यक्तियों में रखा था जिन्हें पेंशन लाभ प्राप्त होना था। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक को संबोधित पत्र दिनांक 10 मार्च, 1907 (प्रदर्श के.डब्ल्यू. 3/1) का भी हिसाब मांगा है, जिसमें विधवा को विशेष पारिवारिक पेंशन की दर से संबोधित किया गया है। रुपये का प्रति माह 160 रुपये और मृत्यु पर रुपये की ग्रेच्युटी प्रदान की गई है। 2,670 रुपये तय किया गया है. उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस पत्र में ग्रेच्युटी की राशि वास्तव में तय की गई थी और वह विद्वान

न्यायाधीश के समक्ष यह प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे कि इस निर्दिष्ट राशि को प्रोबेट का विषय बनाया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि श्री कपूर के तर्क में दम है, खासकर ग्रोवर, जे. की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, जो उन्होंने अपने फैसले के अंत में कही थी:-

"ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं बन सकती और श्री कपूर इसके विपरीत कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहे हैं।"

(23) इसलिए, हम जोध सिंह की अपील को केवल उस सीमा तक ही स्वीकार करेंगे, जब तक कि रु. 2,670 रुपये की ग्रेच्युटी को उन परिसंपत्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए जिनके लिए प्रोबेट दिया जाना है। जोध सिंह का पक्ष, एल.पी.ए. 1967 की संख्या 389 को केवल इसी सीमा तक अनुमति दी जाएगी। हम इस अपील की लागत के बारे में भी कोई आदेश नहीं देंगे।

चीफ जस्टिस मेहर सिंह - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी

हरदेव कौर बनाम चौधरी जोध सिंह (जस्टिस शमशेर बहादुर)
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1969) 1

संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा